न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 02/2015

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
समरथमल पुत्र अचलाराम पुरोहित जाति पुरोहित निवासी जीरावल तहसील रेवदर जिला सिरोही		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही 2 वजाराम पुत्र भूदराराम 3 झमू पत्नी वजाराम जातिगण कोली निवासीगण सरण का खेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 (1) बी, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री एस0डी0 सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2012 बअनवान समरथमल बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सरण का खेडा तहसील रेवदर के खसरा नम्बर 370 रकबा 5.00 बीघा भूमि का उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा दिनांक 28.07.2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में आवंटन आदेश पारित किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आंवटन को विधि विरूद्ध मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम किए गए आवंटन को अपास्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें पारित निर्णय अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की पात्रता के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी से जांच करवाई जाकर मूल रिकार्ड के बारे में फाईंडिंग देकर रेकर्ड एवं मौके की पूर्ण जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाकर जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा न होकर हजारीमल वगैरा का कब्जा होना साबित हुआ है, इस प्रकार वक्त आवंटन जैर अपील वादस्थ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। इस कारण जो आवंटन किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 सरपंच के रिश्तेदार है, जो भू आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था, जिससे उसके परिवार के सदस्यों को भूमि का आवंटन कानूनन नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त आवंटन प्रक्रिया की पूर्ण पालना भी नहीं की गई, उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा न ही चस्पा की गई। जैर अपील वादस्थ भूमि पर हमारा कब्जा है, इस हेतु अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम आवंटन आदेश पारित किया। पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड किया गया कि पात्रता के आधार पर जांच की जावे, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त पाया गया, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय की सूचना जरिये पत्र प्रेषित करने तथा उक्त पत्र अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है, जिसे कण्डोन किया जावें। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार करवाते हुए स्वीकार की जावे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 19.02.2013 को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया गया है, वह मान्य नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट साक्ष्य व्यक्ति है, जिसे कानून की पूर्ण जानकारी है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, वह झूठा है। मात्र सरपंच के रिश्तेदार होने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त आवंटन सरपंच को नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में स्थिति स्पष्ट की है। वक्त आवंटन जैर अपील वादस्थ भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अतिक्रमियों का कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया गया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 भूमिहीन व्यक्ति है, जो आवंटन की पात्रता रखते है। इस सम्बन्ध में आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच की जाकर नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में आवंटन करने की अनुशंषा की है, जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा ग्राम सरण का खेडा के खसरा नम्बर 370 में से 5.00 बीघा भूमि दिनांक 28.09.2007 को आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आवंटन की गई। आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपी का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रेवदर के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को भूमिहीन होना बताया तथा वांछित भूमि पर किसी का अतिक्रमण या कब्जा नहीं होना जाहिर किया। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 8 में वांछित भूमि दो अन्य व्यक्तियों द्वारा मांग की जाना बताया। इस पर आंवटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आवंटन करने की अनुशंषा की, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को भूमि का आवंटन किया गया। प्रकरण में जो विधिक स्थिति प्रकट हुई है, वे इस प्रकार है (1) क्या वक्त आवंटन भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा था अथवा नही ? तथा अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण होने की स्थिति में उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी या नही ? (2) क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 सरपंच के भाई/भाभी होने के नाते, सरपंच की सदस्यता वाली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु पात्र थे अथवा नही ? (3) पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 8 में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दो अन्य व्यक्तियों द्वारा मांग किया जाना अंकित किया, उन तथाकथित दो व्यक्तियों की सुनवाई किए बिना आवंटन किया जाना विधि सम्मत है अथवा नही ? इन तीनों बिन्दुओं के विनिश्चिय पर ही प्रकरण आधारित है। उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत इस प्रकार है कि – (1) क्या वक्त आवंटन भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा था अथवा नही ? तथा अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण होने की स्थिति में उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी या. नही ? इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न भू आवंटन आवेदन पत्र, पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 9 में उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण अथवा कब्जा नही होना जाहिर किया तथा बिन्दु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 11 में उक्त भूमि आवंटन योग्य होना बताया। इससे यह साबित होता है कि वक्त आवंटन भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नही था तथा न ही अतिक्रमण था। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी राजकीय भूमि पर वक्त आवंटन अतिक्रमण पाया जाता है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर अपीलाण्ट अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार जैर अपील वादस्थ भूमि के आवंटन में प्रथम बिन्दु पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। (2) क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 सरपंच के भाई/भाभी होने के नाते, सरपंच की सदस्यता वाली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु पात्र थे अथवा नही ? इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 (1) के परन्तुक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.5/रेवेन्यू/14/89/6-29 जी.एस.आर. 42 दिनांक 14.08.2000 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां परामर्शदायी का कोई सदस्य किसी आवेदक में उसके सम्बन्धी होने या अन्यथा रूप में हित रखता है, तो वह सदस्य उस समिति की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3, जिनके नाम से जैर अपील वादस्थ भूमि का आवंटन किया गया है, वे सरपंच जीरावल के भाई व भाभी थे। इस कारण जैर अपील वादस्थ भूमि का जो आवंटन किया गया है, उस आवंटन प्रक्रिया में सरपंच का भाग लिया जाना विधि सम्मत नहीं था। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यू0 2006 (2) (राज.) पेज 792, आर0बी0जे0 (5) पेज 125 तथा आर0बी0जे0 2000 (7) पेज 547 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में सरपंच द्वारा भाग लिया जाना एवं उस बैठक में सरपंच के रिश्तेदारों को कृषि भूमि का आवंटन करवाया जाना विधि विरूद्ध तथा निरस्त योग्य माना है। हस्तगत प्रकरण में भी यह सिद्ध हुआ है कि सरपंच द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्रवधु को लाभ प्रदान करने की मंशा से जैर अपील आवंटन करवाया गया है, जो समर्थन योग्य नहीं है। (3) पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 8 में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दो अन्य व्यक्तियों द्वारा मांग किया जाना अंकित किया, उन तथाकथित दो व्यक्तियों की सुनवाई किऐ बिना आवंटन किया जाना विधि सम्मत है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व उस निर्णय के सम्बन्ध मे हितबद्ध व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात् का गुणावगुण के आधार पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर निस्तारण किये जाने का प्रावधान है, इस दौरान जितने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होते है, उनका विधि परीक्षण किया जाना एवं परीक्षणोपरान्त उनका विधिवत विनिश्चय किया जाना आवश्यक है, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अन्तिम रूप से पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता एवं त्रुटी की आशंका नही हो तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 11 (3) में स्पष्ट प्रावधान विहित है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपरोक्त नियमों की परिधी में प्रकरण की समुचित जांच एवं विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 (4) में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को रेकर्ड पर लिए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम भूमि का आवंटन किया गया, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.09.2007 को बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2012 बअनवान समरथमल बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के सम्बन्ध में निष्कर्ष अंकित करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही